2023/220

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रूस्तम खान पठान निवासी नयावास नं. 02 सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 54 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.10.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 01.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम वीरवाडा में वीरोली मार्ग स्थित मुमताज बानो पुत्री श्री उमर खान पठान निवासी वीरवाडा का मकान बेचना सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करवाई जावे एवं उक्त बेचान किसके द्वारा, किसे व किस दिनांक को बेचना किया गया, उक्त सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 01.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम वीरवाडा में वीरोली मार्ग स्थित मुमताज बानो पुत्री श्री उमर खान पठान निवासी वीरवाडा का मकान बेचना सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करवाई जावे एवं उक्त बेचान किसके द्वारा, किसे व किस दिनांक को बेचना किया गया, उक्त सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2023/1587 दिनांक 06.09.2023 द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner